कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कार्यालय दूरभाष क्र.-07868-241282, फैक्स क्र.-07868-241482, ई-मेल zp-kanker.cg@nic.in

बिहान

क्रमांक/ 16560 /जि.पं./DAY, NRLM/2017-18 कांकेर, दिनांक 13 /02/2018

छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1754/आर 1526/22 -1 /2017 नया रायपुर दिनांक 29.07.2017 एवं पत्र क्रमांक/81/वि-6/NRLM/2012 रायपुर, दिनांक 23.04.2017 व मिशन संचालक, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन सिविल लाईन रायपुर के पत्र क्रमांक/2272/वि-6/NRLM/ HR&A/2017 नया रायपुर, दिनांक 14.08.2017 में दिए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत जिला मिशन एवं विकासखण्ड मिशन कार्यालयों में निम्नानुसार स्वीकृत/रिक्त पद पूर्णतया एकमुश्त मासिक वेतन (संविदा) आधार पर भरे जाने हेतु पदवार निर्धारित आरक्षण एवं अर्हता के अनुसार योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से **दिनांक 28:2:2018 को सायं 5:00 बजे तक** जिला कार्यालय कांकेर में ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु वेबसाईट **www.bihan.gov.in** **जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in** में दिये गये स्वीकृत/रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित सभी जानकारी/नियम-शर्तें, पदवार निर्धारित योग्यता/अर्हता, पदवार आरक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्षेत्रीय समन्यक, लेखापाल, लेखा सह एम.आई.एस. सहायक, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं भृत्य पदों पर आवेदन करने के लिए जिले के मूल निवासी ही पात्र होंगे।

जिलों के लिये स्वीकृत/रिक्त पदों पर भर्ती जिलों के द्वारा की जायेगी, अतः संबंधित पदों के लिये अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है। प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।

चयन/भर्ती से संबंधित जानकारी/आवश्यकतानुसार संशोधन आदि उक्त वेबसाईट में ही अपलोड की जायेगी। अलग से कोई सूचना/विज्ञापन आदि प्रकाशित नहीं की जावेगी- आवेदक इसका विशेष ध्यान रखें।

पदों का विवरण -

जिला कांकेर हेतु

क्र	पद का नाम		अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
		रिक्त पदों की संख्या	मुक्त	महिला	विक.	भू.पू. सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.पू. सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.पू. सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.पू. सैनिक	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.पू. सैनिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	क्षेत्रीय समन्वयक (जनपद पंचायत)	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	2	–	–	3	2	2	–	–	4
2	लेखापाल (जिला पंचायत जनपद पंचायत)	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	2
3	लेखा सह एम आइ एस सहायक (जिला पंचायत जनपद पंचायत)	6	1	1	–	–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	3	4	2	–	–	6
4	डाटा एण्ट्री अपरेटर (जिला पंचायत, जनपद पंचायत)	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	2
5	भृत्य (जिला पंचायत)	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
योग-		15	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	3	0	0	8	11	4	0	0	15

आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश -

1. ऑफलाईन आवेदन करना -
   i. कांकेर जिले में क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाल, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं लेखा सह एम.आई.एस. के पद पर आवेदन करने के लिये जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे।
   ii. **ऑफलाईन आवेदन करने की तिथि .... सायं 05:00 बजे तक है।**
   iii. प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।

2. निर्धारित आयु सीमा -

   दिनांक 01 जुलाई 2017 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।

3. अभ्यर्थी आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, आयु, वांछित योग्यता आदि के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हताएं, प्रमाणीकृत सुसंगत-संबंधित मान्ययोग्य अनुभव एवं अन्य सभी शर्तों को पूरा करने एवं पात्र होने पर ही आवेदन करें। चयन एवं सेवा के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाएं जाने पर या असत्य जानकारी दिये जाने पर उसका आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दिया जावेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। स्क्रुटिनी सह दावा-आपत्ति, समूह चर्चा/व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

4. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश -
   i. चयन प्रक्रिया के समस्त चरणों में निर्धारित वेबसाईट **www.bihan.gov.in** जिले की वेबसाइट **www.kanker.gov.in** .में अपलोड की गयी जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होते है, तो ऐसी स्थिति में आवेदित पद के प्रति रूचि नहीं मानते हुए उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
   ii. **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में संबंधित जानकारियों के सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।**
   iii. आवेदन में चाही गयी जानकारियाँ सही दी जावे। चयन के दौरान या चयन के उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो चयन की प्रक्रिया से अलग कर दिया जायेगा/नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जा सकेगी।
   iv. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
   v. उपरोक्त विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है, जिसे कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

vi. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र (व्यक्तिगत साक्षात्कार/समूह चर्चा हेतु चिन्हांकित होने पर जमा करना अनिवार्य है)।

7. मिशन अंतर्गत विज्ञापित समस्त रिक्त पद पूर्णतया एकमुश्त मासिक वेतन पर अनुबंध आधारित हैं, जिनमें नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जानी है। उक्त नियुक्ति की अवधि, केन्द्र सरकार से उक्त पदों हेतु राज्य को वित्तपोषण प्राप्त होने तक एवं प्रति वर्ष नियुक्त स्टॉफ के कार्यों एवं आचरण के मूल्यांकन में संतोषजनक पाएं जाने की स्थिति में ही सेवा अवधि बढ़ायी जा सकेगी तथा संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मी की नियुक्ति समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। समस्त विज्ञापित पदों हेतु शासन द्वारा एकमुश्त मासिक वेतन निर्धारित किये गये हैं। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के प्रथम 12 माह परीवीक्षा पर होंगे।

8. नियुक्ति में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

9. नियुक्ति उपरान्त कर्मचारी को उनके पदस्थापना स्थल में निवास करना अनिवार्य होगा।

10. जिला स्तर के पदों पर नियुक्त स्टॉफ को मिशन के विस्तार एवं क्रियान्वयन की रणनीति के तहत् मिशन संचालक द्वारा राज्य में अन्यत्र कहीं भी पदस्थापना की जा सकती है।

11. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

12. चयन का तरीका -

क्षेत्रीय समन्वयक, लेखापाल, लेखा सह एम.आई.एस. सहायक, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं भृत्य पद हेतु प्राप्त आवेदनों पर न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अस्थायी प्रवीण्यता सूची तैयार कर 1 पद के विरुद्ध मेरिट के क्रम में अधिकतम 15 पात्र आवेदकों के चिन्हांकन के लिये प्रथमतया मेरिट के क्रम में स्क्रुटिनी/परीक्षण उपरांत दावा-आपत्ति आमंत्रित कर पात्रता/अपात्रता का निर्धारण किया जायेगा। जिनमें से दावा-आपत्ति उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को क्षेत्रीय समन्वयक पद के लिये समूह चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा लेखापाल, लेखा सह एम.आई.एस. सहायक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पद हेतु कौशल परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि में आमंत्रित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त भृत्य पद पर अंतिम रूप से प्रथमतया प्रवीण्यता के आधार पर चयन किया जावेगा।

क्षेत्रीय समन्वयक पद हेतु अंतिम रूप से प्रवीण्यता के आधार पर चयन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 50% वेटेज, समूह चर्चा के लिये 25% वेटेज तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिये 25% वेटेज दिया जावेगा। लेखापाल, लेखा सह एम.आई.एस. सहायक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पद पर अंतिम रूप से प्रवीण्यता के आधार पर चयन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 60% वेटेज तथा कौशल परीक्षा के लिये 40% वेटेज दिया जावेगा।

13. उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिये चयन के मापदण्डों के अनुसार चिन्हांकित/चयनित आवेदकों को स्वयं के आवेदन में उल्लेखित किये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/दावा-आपत्ति, समूह चर्चा/व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर उपस्थित होने के लिये जानकारी वेबसाईट पर ही अपलोड की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से या सूचना पत्र के द्वारा ऐसी जानकारी संबंधितों को नहीं भेजी जायेगी। अतः इसका विशेष ध्यान् रखा जावे।

12.2.2018

(श्री टामन सिंह सोनवानी)
कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

1- क्षेत्रिय समन्वयक (संविदा) -

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक।

(ख) गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण विकास/ आजीविका संवर्धन/शासन द्वारा चलाए जा रही योजना अथवा गैर सरकारी संगठन में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव (पूर्ण कालिक कार्य अनुभव)। किसी प्रकार की स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।

(ग) एम.एस. ऑफिस एप्लिकेशन एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान।

(घ) मासिक संविदा वेतन रूपये 20,000/- एक मुश्त ।

2- लेखापाल (संविदा) -

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक।

(ख) लेखा कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव (पूर्ण कालिक कार्य अनुभव)। किसी प्रकार की स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।

(ग) एम0एस0 ऑफिस एप्लिकेशन/टेली में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य ।

(घ) मासिक संविदा वेतन रूपये 12,000/- एक मुश्त ।

3- लेखा सह एम आई एस सहायक -

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक ।

(ख) सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन में लेखा कार्य (पूर्ण कालिक कार्य अनुभव)में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। किसी प्रकार की स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।

(ग) टेली एवं एम.एस. एक्सल के क्षेत्र में अनुभव को वरीयता।

(घ) मासिक संविदा वेतन 17,000/- एक मुश्त ।

4- डाटा एन्ट्री आपरेटर -

(क) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना हायर सेकेण्डी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।

(ख) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध मं कौशल परीक्षा ली जाएगी।

(घ) मासिक संविदा वेतन 17,000.00/- एक मुश्त।

5- भृत्य -

(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से पांचवी उत्तीर्ण।

(ख) मासिक संविदा वेतन 8,000.00/- एक मुश्त।

vi. दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य सभी प्रकार के आरक्षित पदों के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

vii. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छारिता या किसी कारण से छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्द्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई हो चाहे वह किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

viii. उपरोक्त नियुक्ति हेतु प्रसारित विज्ञापन में या सूचना में आवश्यकतानुसार कोई संशोधन आवश्यक होने पर जिले की वेबसाईट **www.bihan.gov.in** जिले की वेबसाइट **www.kanker.gov.in** में पर ही प्रकाशित की जायेगी। इसके लिये अलग से कोई सूचना पत्र आवेदकों को नहीं भेजा जायेगा।

5. कार्यानुभव के सम्बन्ध में निर्देश :-

अ. मान्यता प्राप्त संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव ही निर्धारित पद के लिए अनुभव के रूप में मान्य किया जावेगा। किसी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा।

ब. ऑफलाईन आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे अन्यथा इसके अभाव आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा- जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।

स. आवेदक के द्वारा आवेदन में दिये गये अनुभव को मान्य करने के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी का निर्णय अंतिम रूप से सर्वमान्य होगा।

6. निर्धारित पद हेतु चयन के मापदण्ड के आधार पर शॉर्ट-लिस्टेड आवेदकों के दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/दावा-आपत्ति की कार्यवाही -

निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण-पत्रों और अंकसूचियों की आवेदक द्वारा स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि, मूलप्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में दी गई जानकारियों के परीक्षण/सत्यापन/मिलान/जाँच/दावा-आपत्ति हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिसके उपरांत ही अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) पात्रता/अपात्रता हेतु तय की जायेगी -

i. जन्मतिथि का निर्धारण आवेदक की कक्षा दसवीं (हाई स्कूल सर्टिफिकेट) परीक्षा या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंकसूची के आधार पर किया जायेगा।

ii. विज्ञापित पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित अंकसूची (शैक्षणिक योग्यता जिस संस्थान से प्राप्त किया गया है उक्त संस्था मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद्/यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. आदि से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है)।

iii. निःशक्तता के प्रमाण-पत्र हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा या शासन से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

iv. जाति प्रमाण पत्र - यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र।

v. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र।

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–...,
छत्तीसगढ

आवेदित पद का नाम :– ....

आवेदक का नाम :– ....

लिंग :– पुरूष / स्त्री ....

पिता / पति का नाम :– ....

जन्मतिथि:–

दिन	माह	वर्ष

आयु (01.01.2017 के अनुसार):–
वर्ष .... माह .... दिन ....

जाति (अजा / अजजा / अ.पि.वर्ग / सामान्य):–..

मूल निवासः– राज्य जिला वि.खण्ड गांव / शहर

....

पत्र व्यवहार का पता :– ....

....

फोन / मो.नं. :– ....ई–मेल (यदि हो)..

शैक्षणिक योग्यताएं :–

अर्हताएं	बोर्ड / विवि	डिग्री / डिप्लोमा	परीक्षा परिणाम			
			उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
पांचवीं						
आठवीं						
दसवीं						
बारहवीं / पुराना हायर सेकेण्डरी की स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष						
अन्य						

संबंधित कार्यक्षेत्र मे अनुभवः–

विभाग / संस्था	पद नाम	कार्य अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव (माह में)
			कुल अनुभव	

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

–: घोषणा :–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। किसी स्तर पर जानकारियाँ असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन / सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः–.....................................